प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 10.07.2025

- **थाना रनियां पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या की घटना कारित करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण एवं एक बाल अपचारी (अभिरक्षा) को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से मृतक का मोबाइल एवं उनकी निशांदेही पर आलाकत्ल रक्तरंजित ईंट को बरामद किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 02.07.2025 को थाना रनियां क्षेत्रान्तर्गत मिले अज्ञात शव की पहचान होने पर दिनांक 07.07.2025 को वादिनी श्रीमती संध्या देवी संखवार पत्नी छोटेलाल उर्फ अरविन्द संखवार निवासी ग्राम परजनी थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा वादिनी के पुत्र आर्यन उर्फ सचिन उम्र 19 वर्ष की हत्या कर शव छिपाये जाने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रनियां पर मु0अ0सं0 124/2025 धारा 103(1)/238(a) बीएनएस व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट बनाम 03 नफर नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। थाना रनियां पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. यश शर्मा पुत्र ऋषि कुमार शर्मा उर्फ विपुल शर्मा उम्र करीब 24 वर्ष निवासी शर्मा मोहल्ला कस्बा व थाना रनियां कानपुर देहात, 2. अजय प्रताप सिंह सेंगर उर्फ साहिल सेंगर पुत्र स्व0 इन्द्रप्रताप सिंह सेंगर उम्र करीव 21 वर्ष निवासी रुरवाहार थाना अकबरपुर कानपुर देहात हाल पता अम्बेडकर नगर कस्वा व थाना रनियाँ कानपुर देहात व 01 नफर बाल अपचारी (अभिरक्षा) को दिनांक 09.07.2025 की रात्रि में समय 22.55 बजे किसरवल तिराहा, थाना क्षेत्र रनियां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अजय प्रताप सिंह उर्फ साहिल सेंगर उपरोक्त के कब्जे से मृतक आर्यन उर्फ सचिन उपरोक्त का एन्ड्रायड मोबाइल व अभियुक्त यश शर्मा की निशादेही पर घटना स्थल के पास से आला कत्ल रक्तरंजित ईंट बरामद हुयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण एवं बाल अपचारी को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त यश शर्मा उपरोक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.07.2025 को शाम लगभग 05.00 बजे मैं रनियाँ बाजार में अपने दोस्तों अजय प्रताप सिंह सेंगर उर्फ साहिल सेंगर उपरोक्त एवं (बाल अपचारी) के साथ घूम रहा था तभी मैंने देखा कि रनियां

क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली मेरी महिला मित्र अपनी बड़ी बहन एवं एक लडके के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रही थी, मैंने उन लोगों को रोककर पूछा तो मेरी महिला मित्र ने बताया कि यह मेरी मौसी का लडका आर्यन उर्फ सचिन संखवार (मृतक उपरोक्त) है। मैंने उससे अपने साथ चलने को जबरदस्ती की तो आर्यन उपरोक्त जो शराब के नशे में था मुझसे झगड़ने लगा। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद आर्यन उर्फ सचिन मुझे फोन करके गालियां देने लगा जिसपर मैंने उसे चिटिकपुर रोड पर बन्द पड़ी सरिया फैक्ट्री रोलिंग मिल में बुला लिया, वहां मैंने मेरे दोस्तों अजय प्रताप उर्फ साहिल उपरोक्त व (बाल अपचारी) ने उसे काफी देर तक बैठाकर समझाने का प्रयास किया, किन्तु वह लगातार हम लोगों को गालियां देता रहा और हाथापाई पर उतर आया और ईंट उठाकर मुझे मारने के लिये दौड़ा तो हमने भी उसके ऊपर ईंटो से प्रहार कर घायल कर दिया। तब हमें लगा यह हमें फसा देगा इसलिए हमने कांच की बोतल तोड़कर उसके नुकीले हिस्से से उसके गले में प्रहार कर गला फाड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। फिर हमने उसके शव को छिपाने के लिये वहीं पास में बने बन्द पड़े शौचालय के सोकपिट में डाल दिया तथा ऊपर से ईंट-पत्थर एवं पेड़ों के हरे पत्ते डाल कर छिपा दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1. यश शर्मा पुत्र ऋषि कुमार शर्मा उर्फ विपुल शर्मा उम्र करीव 24 वर्ष, निवासी शर्मा मोहल्ला कस्बा व थाना रनियाँ कानपुर देहात।
2. अजय प्रताप सिंह सेंगर उर्फ साहिल सेंगर पुत्र स्व0 इन्द्रप्रताप सिंह सेंगर उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी रुरवाहार थाना अकबरपुर कानपुर देहात, हाल पता अम्बेडकर नगर कस्बा व थाना रनियाँ कानपुर देहात।
3. 01 नफर बाल अपचारी।

बरामदगी-

1. अभियुक्त अजय प्रताप सिंह सेंगर उर्फ साहिल सेंगर के कब्जे से मृतक उपरोक्त का 01 अदद एन्ड्रायड मोबाइल नथिंग कम्पनी।
2. घटना में प्रयुक्त एक आलाकत्ल रक्तरंजित ईंट।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रनियां पुलिस